

# प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली  
इजलास श्री हेमराज गुर्जर, R.A.S.

## उनवान

रघुवीर पुत्र स्व० सम्पत जाति माली निवासी चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा,  
बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली— वादी

## बनाम

1. पांच्याराम पुत्र स्व० सम्पत जाति माली निवासी चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. लैन्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली —————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा,  
व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 41 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री पी0एल0 गोयल मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा मौका कमीश्नर 1000 रूपये फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नं0 1662 रकबा 0.84 है०, 1678 रकबा 0.44 है० 1679 रकबा 0.44 है०, 1680 रकबा 0.01 है०, खसरा नं 1681 रकबा 0.88 है०, खसरा नं 1682 रकबा 1.01 है० खसरा नं 1775 रकबा 0.09 है०, खसरा नं 1776 रकबा 0.09 है०, खसरा नं 1785 रकबा 0.22 है०, खसरा नं. 1788 रकबा 0.12 खसरा नं 584 रकबा 0.37 है०. खसरा नं 596 रकबा 0.27 है०, खसरा नं 602 रकबा 0.27 है०, खसरा नं 604 रकबा 0.16 है० कुल किता 14 कुल रकबा 5.21 है० स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार दर्ज है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बटवारा स्कीम दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग-अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अकित करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार तहसील हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.03.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

( हेमराज गुर्जर ) 6/3/25  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली

# फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली  
इजलास श्री हेमराज गुर्जर, R.A.S.

## उनवान

रघुवीर पुत्र स्व० सम्पत जाति माली निवासी चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा,  
बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली----- वादी

## बनाम

1. पांच्याराम पुत्र स्व० सम्पत जाति माली निवासी चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. लैन्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली -----प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा,  
व स्थायी निषेधाज्ञा


मुकदमा नं0 41 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री पी0एल0 गोयल मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.84 है0, 1681/2 रकबा 0.47 है0, 1679 रकबा 0.44 है0, 1775 रकबा 0.09 है0, 1776 रकबा 0.09 है0, 602 रकबा 0.27 है0, 604 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.36 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी रघुवीर पुत्र सम्पत जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.44 है0, 1681/1 रकबा 0.41 है0, 1682 रकबा 1.01 है0, 1785 रकबा 0.22 है0, 596 रकबा 0.27 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन प्रतिवादी पांच्याराम पुत्र सम्पत जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1680 रकबा 0.01 है0, 1788 रकबा 0.12 है0, 584 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी एवं प्रतिवादी रघुवीर पुत्र सम्पत हि01/2, पांच्याराम पुत्र सम्पत हि0 1/2 जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.84 है0, 1681/2 रकबा 0.47 है0, 1679 रकबा 0.44 है0, 1775 रकबा 0.09 है0, 1776 रकबा 0.09 है0, 602 रकबा 0.27 है0, 604 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.36 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें, वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

  
( हेमराज गूर्जर )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )  
हिण्डौन जिला करौली

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 41/2025

तारीख रजू:- 06.03.2025

जीसीएमएस नं. 2025/82

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रघुवीर पुत्र स्व० सम्पत जाति माली निवासी चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली ————— वादी

## बनाम

1. पांच्याराम पुत्र स्व० सम्पत जाति माली निवासी चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. लैन्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ————— प्रतिवादीगण

## दावा बावत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:- 1. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट वादी

2. श्री पी०एल० गोयल एडवोकेट प्रतिवादी सं०1

## निर्णय

दिनांक :- 09.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी का दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.03.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा मौका कमिश्नर 1000/-रूपया फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये गये कि आराजी खसरा नं० 1662 रकबा 0.84 है०, 1678 रकबा 0.44 है० 1679 रकबा 0.44 है०, 1680 रकबा 0.01 है०, खसरा नं 1681 रकबा 0.88 है०, खसरा नं 1682 रकबा 1.01 है० खसरा नं 1775 रकबा 0.09 है०, खसरा नं 1776 रकबा 0.09 है०, खसरा नं 1785 रकबा 0.22 है०, खसरा नं. 1788 रकबा 0.12 खसरा नं 584 रकबा 0.37 है०. खसरा नं 596 रकबा 0.27 है०, खसरा नं 602 रकबा 0.27 है०, खसरा नं 604 रकबा 0.16 है० कुल किता 14 कुल रकबा 5.21 है० स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार दर्ज है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

करें। बटवारा स्कीम दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग-अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अंकित करें।

मुताविक आदेश तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक भू.अ./2025/1438 दिनांक 17.06.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। वकुलाय फरीकेन ने दौराने बहस मुताविक बटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.84 है0, 1681/2 रकबा 0.47 है0, 1679 रकबा 0.44 है0, 1775 रकबा 0.09 है0, 1776 रकबा 0.09 है0, 602 रकबा 0.27 है0, 604 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.36 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी रघुवीर पुत्र सम्पत जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.44 है0, 1681/1 रकबा 0.41 है0, 1682 रकबा 1.01 है0, 1785 रकबा 0.22 है0, 596 रकबा 0.27 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन प्रतिवादी पांच्याराम पुत्र सम्पत जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 1680 रकबा 0.01 है0, 1788 रकबा 0.12 है0, 584 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी एवं प्रतिवादी रघुवीर पुत्र सम्पत हि01/2, पांच्याराम पुत्र सम्पत हि0 1/2 जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के हिस्से में शामिलती रखी गई है। उक्त बटवारा स्कीम पर प्रतिवादी पांच्याराम की निशानी शिब्त है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बटवारा स्कीम वादी अपने दावा को फाईनल डिक्री कराना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादी को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया है। इसलिए वादी का दावा मुताविक बटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.84 है0, 1681/2 रकबा 0.47 है0, 1679 रकबा 0.44 है0, 1775 रकबा 0.09 है0, 1776 रकबा 0.09 है0, 602 रकबा 0.27 है0, 604 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.36 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी रघुवीर पुत्र सम्पत जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.44 है0, 1681/1 रकबा 0.41 है0, 1682 रकबा 1.01 है0, 1785 रकबा 0.22 है0, 596 रकबा 0.27 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन प्रतिवादी पांच्याराम पुत्र सम्पत जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1680 रकबा 0.01 है0, 1788 रकबा 0.12 है0, 584 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी एवं प्रतिवादी रघुवीर पुत्र सम्पत हि01/2, पांच्याराम पुत्र सम्पत हि0 1/2 जाति माली चामुंडा माता मंदिर के सामने, मालियों का पुरा, बाजना रोड, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.84 है0, 1681/2 रकबा 0.47 है0, 1679 रकबा 0.44 है0, 1775 रकबा 0.09 है0, 1776 रकबा 0.09 है0, 602 रकबा 0.27 है0, 604 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.36 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी के उपयोग उपभोग कब्जा काशत में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें, वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 9/12/25  
 उपखण्ड अधिकारी  
 हिण्डौन सिटी  
 हिण्डौन जिला करौली